राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 129 / 2022

1. रघुवीर पुत्र श्री गुलझारी उम्र 54 वर्ष
2. छाजुराम पुत्र श्री गुलझारी उम्र 46 वर्ष जाति गुर्जर निवासीगण बुरका तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

भूमिधारी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

:: निर्णय :: दिनांक :–04–11–2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम बुरका तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) के मूल निवासी है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम गुलझारी है जो कि सही है। राजस्व ग्राम बुरका तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–78 के भूमि खाता संख्या 10 के हाल ख.नं. 257 रकबा 0.03 है., ख.नं. 261 रकबा 0.10 है., ख.नं. 266 रकबा 0.20 है., ख.नं. 275 रकबा 0.33 है., ख.नं. 276 रकबा 0.40 है., ख.नं. 277 रकबा 0.30 है., ख.नं. 398 / 58 रकबा 0.34 है., ख.नं. 399 / 57 रकबा 0.35 है., ख.नं. 400 / 56 रकबा 0.27 है., ख.नं. 401 / 61 रकबा 0.12 है., ख.नं. 402 / 62 रकबा 0.46 है., ख.नं. 403 / 63 रकबा 0.14 है., ख.नं. 404 / 56 रकबा 1.13 है., ख.नं. 509 / 57 रकबा 0.25 है., ख.नं 56 रकबा 1.49 है., ख.नं. 57 रकबा 3.35 है. कुल किता 16 कुल रकबा 9.26 है. तथा ग्राम बुरका स्थित जमाबन्दी संवत् 2075–78 के भूमि खाता सं. 9 के ख.नं. 31 रकबा 2.53 है. के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता का नाम गुलझारी के स्थान पर महादेवा दर्ज हो गया जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गुलझारी है जो सही है जो प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता व अन्य समस्त दस्तावेजात में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण को उक्त खातेदारी भूमि में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बुरका तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–78 के भूमि खाता संख्या 10 के हाल ख.नं. 257 रकबा 0.03 है., ख.नं. 261 रकबा 0.10 है., ख.नं. 266 रकबा 0.20 है., ख.नं. 275 रकबा 0.33 है., ख.नं. 276 रकबा 0.40 है., ख.नं. 277 रकबा 0.30 है., ख.नं. [illegible] 399 / 57 रकबा 0.35 है., ख.नं. 400 / 56 रकबा 0.27 है., ख.नं 401 / 61 रकब[illegible] ख.नं. 402 / 62 रकबा 0.46 है., ख.नं. 403 / 63 रकबा 0.14 है., ख.नं. [illegible] 509 / 57 रकबा 0.25 है., ख.नं. 56 रकबा 1.49 है., ख.नं. 57 [illegible] रकबा 9.26 है. तथा ग्राम बुरका स्थित जमाबन्दी संवत् 2075–78 के भूमि खाता सं. 9 के ख.नं. 31 रकबा 2.53 [illegible] प्रार्थीगण के पिता का नाम महादेवा के स्थान पर सही नाम गु[illegible]री दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/761 दिनांक 03.8.2022 से पटवार मण्डल गाडराटा की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 10, खाता सं. 9 ग्राम बुरका, फोटो प्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रसूलपुर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र रघुवीर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र छाजू राम, परिवार राशन कार्ड पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र रामेश्वर पुत्र महादा राम, लेखराम पुत्र भागीरथ के पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों एवं पटवार हल्का गाडराटा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पटवारी हल्का गाडराटा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम बुरका तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 10 व खाता सं. 9 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम **महादेवा** के स्थान पर **गुलझारी** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.17 16:13:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner